

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 56 (क) एवं वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1 (6) वित्त/नियम/98 दिनांक 28.12.98 एवं दिनांक 24.05.04 एवं प12(6)/वित्त/नियम/2008 जयपुर दिनांक 24.03.15 के द्वारा संशोधित नियमों के तहत 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर निम्नांकित प्रशासनिक अधिकारियों एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित दिनांक से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्र.सं	नाम कार्मिक मय कार्यरत स्थान	पद	जन्मतिथि	सेवा निवृत्ति तिथि
1	रणजीत सिंह, जिशिअ, प्राशि, सीकर	प्रशासनिक अधिकारी	13.08.58	31.08.18
2	गौतम कुमार डूंगरवाल, एसआईआईआरटी, उदयपुर	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	05.07.58	31.07.18
3	विष्णु कुमार शर्मा, जिशिअ, विधि, प्राश0शिक्षा, जयपुर	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	01.08.58	31.07.18
4	कैलाशचन्द्र नामदेव, जिशिअ, माशि, झालावाड	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	08.07.58	31.07.18
5	रामजीतराम कुशवाह, जिशिअ, माशि, विधि, जयपुर	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	02.08.58	31.08.18
6	सायरमल सांसी, डाईट, चूरु	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	20.09.58	30.09.18
7	पूरणचन्द बर्मा, जिशिअ, माशि-प्रथम, जयपुर	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	01.10.58	30.09.18
8	कालूलाल खटीक, डाईट, शाहपुरा (भीलवाडा)	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	05.09.58	30.09.18
9	वीरेन्द्र कुमार जैन, डाईट, उदयपुर	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	05.09.58	30.09.18
10	मदन लाल शर्मा, उप निदेशक, प्रा. शि., अजमेर	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	01.10.58	30.09.18
11	रामकिशोर गर्ग, डाईट करौली	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	16.09.58	30.9.18
12	हरवीर सिंह, उप निदेशक, माशि, भरतपुर	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	01.01.59	31.12.18
13	रामनाथ आचार्य, निदेशालय, माशि, बीकानेर	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	17.12.58	31.12.18

9/11/18

14	बनवारी लाल शर्मा, उप निदेशक, माशि, जयपुर	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	01.01.59	31.12.18
15	ओम प्रकाश चौहान, निदेशालय, माशि, बीकानेर	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	22.02.59	28.02.19
16	अम्बिका प्रसाद आमेटा, उप निदेशक, प्रार.शिक्षा, उदयपुर	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	04.02.59	28.02.19
17	गोपाल लाल, निदेशालय, माशि, बीकानेर	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	10.02.59	28.02.19

प्रारूप-6

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित प्रशासनिक अधिकारी एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध आज तक :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/अधीन नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिंडेल)
आई.ए.एस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

दिनांक 31/7/18

क्रमांक: शिविरा/मा/साप्र/बी-1/3104/2018-19/

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग,
2. संबंधित उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक / (विधि) जोधपुर
4. संबंधित संस्था/कार्यालय प्रधान
5. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा
6. संबंधित कार्मिक/निजी गार्ड पंजिका



उप निदेशक (प्रशासन),
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर